मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 70/2025

अमर पाल पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सरोज देवी पुत्री हनुमान पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन डबलीवास पैमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सलोचना पुत्री हनुमान पत्नी सुखवीर जाति जाट साकिन डबलीवास पैमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. फुलवन्ती पुत्री हनुमान पत्नी कुलदीप कुमार साकिन लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुमन पुत्री हनुमान पत्नी राकेश कुमार साकिन लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :–04/08/25

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थ[illegible] धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

चक 4 एच. डी. पी. के खाता[illegible] (46) किला नं. 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 [illegible] 11/1, 12/1 इस [illegible] कुल 2.934 हैक. नहरी मय गै.मु. खाला खातेदारी दर्ज [illegible] में से पं.नं. 3/260 ([illegible] कुल 1.771 हैक. नहरी मय गै.मु. खाला का वादी को [illegible] काश्तकार घोषित किया [illegible] है। शेष रकबा प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम यथावत रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:46:31 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबं[illegible]

...दि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार ... होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार ...जस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 04/08/25....... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा (हनुमानगढ़)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:46:31 IST
Reason: SelfAttested